

**(9) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु होने पर दी जाने वाली  
सम्मान निधि**

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु होने पर दी जाने सम्मान निधि रुपये 4000/- उसी दिन अधिकारी द्वारा उनके उत्तराधिकारी को प्रदाय की जाती है।

क्रमांक	शासकीय कार्यालय का नाम	सक्षम अधिकारी का नाम	सम्मान राशि	आवेदन तथा उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज / चाही गई औपचारिकताएं
	कार्यालय कलेक्टर	कलेक्टर	4000/-रुपये	(1) सूचना तत्काल कलेक्टर को देनी होगी। (2) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जिस बैंक में खाता है उसका नंबर भी देना होगा ताकि चेक कैंश राशि उसके उत्तराधिकारी तक पहुंच जावे। (3)सम्मान निधि की राशि रुपये <u>4000/-</u> सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उनके उत्तराधिकारी को दी जावेंगी।